तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/4/26	पत्रा. पेश।	
	वादी ने धारा 88, 89 एवं 188 R.T. Act के तहत वाद पेश किया है।	
	तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है —	
	तनकी 1 — वादी ने वादग्रस्त भूमि की खरीद का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादी मौखिक तौर पर क्रय की बात कर रहा है व अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर खातेदारी अधिकार माँग रहा है जो कि वादी को नहीं दिए जा सकते। वादी ने वादग्रस्त कब्जा भी नहीं स्थापित किया है। कब्जे के आधार पर भी वादी को खातेदार नहीं बनाया जा सकता है।	
	तनकी 2 — वादी ने अपने कथन को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है। कब्जे के आधार पर वैसे भी वादी को खातेदार नहीं घोषित किया जा सकता है।	
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तनकी 3 — वादी इकरारनामे के Basis पर खातेदारी माँग रहा है। बिना किसी विक्रय पत्र या पंजीकृत दस्तावेज़ के आधार पर वादी खातेदार घोषित नहीं किया सकता। इकरारनामा अपंजीकृत दस्तावेज़ जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते।
	तनकी 4 — क्योंकि वादी वादग्रस्त भूमि पर अपने खातेदारी अधिकार स्थापित नहीं कर पाया है। अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा का हकदार भी नहीं है।
	तनकी 5 — ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं है जिससे बैयान प्रमाणित हो सके। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक नहीं है।
	तनकी 6 — न्यायालय भूमि का खातेदार ~~[illegible]~~ घोषणा करने में सक्षम है। मुआवज़ा से संबंधी issue इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है।

Che
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तनकी 7 - वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखो में कृषि भूमि अंकित है व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है इससे संबंधित खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा सुनने में यह न्यायालय सक्षम है।	

अत: सम्पूर्ण दस्तावेज़ो, साक्ष्य व बयानो को देखते हुए वादी अपना कथन सिद्ध नहीं कर पाया है। वादी कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है जिससे वादग्रस्त आराजी में उसे खातेदारी अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा मिल सके।

अत: वादी ~~श्री~~ का वाद खारिज़ किए जाने योग्य है।

निर्णय आज दिनांक 6/4/24 को सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

Che
6/4/24
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी